राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	3445 / 2025	पवन कुमार शर्मा	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव सह आयुक्त, पंचायतीराज विभाग शासन सचिवालय, जयपुर। 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर, जिला नागौर। 3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।
2.	3446 / 2025	सोहन राम बुगालिया	1. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर, राजस्थान। 3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर जयपुर।
3.	3448 / 2025	रूघाराम गोदारा	1. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर, राजस्थान। 3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर जयपुर।
4.	3449 / 2025	डॉ. भंवर लाल गोदारा	1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव सह आयुक्त, पंचायतीराज विभाग शासन सचिवालय, जयपुर। 2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर, जिला नागौर। 3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, ज्योति नगर, जयपुर।

आदेश की दिनांक : 28.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपील पर सुनवाई की गई।

2. उपरोक्त तालिका में अंकित समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एक समान है इसलिए समस्त अपीलों में समान आदेश पारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3445/2025 पवन कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के तथ्य अंकित किए जा रहे है।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील के आधारों को दोहराते हुए तर्क दिया है कि अपीलार्थी खण्ड विकास अधिकारी के पद से अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो चुका है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 17.10.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को सहायक विकास अधिकारी के पद से दिनांक 31.01.2025 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध सेवानिवृत्ति के समय कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है। अपीलार्थी दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हो गया है। इस कारण अपीलार्थी को 1 फरवरी 2025 में देय वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित रखा गया है। इस संबंध में अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 21/2020 विजय सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.07.2023 के अनुसार उक्त अवधि के दौरान अपीलार्थी द्वारा दी गई सेवा के लिए 1 जुलाई से 30 जून तक काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ पाने का हकदार है। अधिकरण ने समान प्रकरण अपील संख्या 3127/2025 रामनिवास बनाम राजस्थान राज्य में आदेश दिनांक 30.06.2025 द्वारा अपील का निस्तारण किया गया (अनुलग्नक–2)। अतः अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी 1 जुलाई से 31 जनवरी की अवधि के दौरान अपीलार्थी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए 1 जुलाई से काल्पनिक वेतन वृद्धि प्रदान किए जाने एवं उस अनुरूप पेंशन निर्धारण के निर्देश फरमाये जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की

अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।
7. इस आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 3445/2025 में एवं छायाप्रति अन्य अपील में संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष